

प्रारूप-2
(नियम 24(1) वेखें)

संख्या:- २०९

तारीख ०८-०३-२०१३

झारखण्ड सरकार
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा की शर्त) अधिनियम 1996 की धारा 7 की उपधारा 3 के और अधिनियम बनाये गए नियमों के अधीन, उपबद्ध में अधिकथित शर्ते के अधीन रहते हुए मेसर्स **टेक्नो कॉलेज बीडीआईएन्डसी** को निम्नलिखित विशिष्टयों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1. नियोजक का नाम एवं पता
2. उस स्थान का डाक पता / अविस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा भवन अथवा निर्माण कार्य किया जाना है।
3. स्थापना का नाम एवं स्थायी पता
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाने हैं
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिक संख्या
6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टिया

टेक्नो कॉलेज बीडीआईएन्डसी
१० ईज टापर, प्रभाग तल्ला, धूबी बर्कुलर
नियर रेजिस्ट्रीकरण कोर्ट, धनबाद।

- वास्तु विद्वार, - नोटा नुस्खा एवं
ठोकिएंडप्युर, धनबाद।
- १० टेक्नो कॉलेज बीडीआईएन्डसी
प्लॉ, १० ईज टापर, प्रभाग तल्ला, धूबी
बर्कुलर रोड, नियर रेजिस्ट्रीकरण कोर्ट -
धनबाद।
स्थिविष्ट नामी
- २०० (सूटी रूपी)

- वर्ष २०१० से वर्ष २०२०

- ८१-७२५ = दिनांक - ०४-०३-२०१३

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
अधिकारी सह रजिस्ट्रीकरण पद
हस्ताक्षर महर के साथ

उपबद्ध

यहाँ उपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्ते के अधीन है, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणी होगा (ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी (ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत की वैशिष्ट्य कीस अप्रतिदेय होगी, (घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा संवेद्य मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें किसी कसर समझौते या पंचाट द्वारा नियम की गई है वहाँ इस प्रकार नियम दरों से कम नहीं होगी, (ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

फारम -2, (नियम 18 (1) द्रष्टव्य)

झारखण्ड सरकार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी -सह-श्रम अधीक्षक, धनबाद।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या— 178

दिनांक 11.3.2013.

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन टेक्नोकलचर विल्डिंग सेन्टर प्रा० लि०, 1डी हेमटावर लुबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक के पास, धनबाद को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 200 (दो सौ) श्रमिक के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है जिसमें निम्नलिखिता व्यौरे शामिल हैं:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1. स्थापना / प्रतिष्ठान में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप | Building Construction. |
| 2. संवेदक के माध्यम से स्थापना में किये जाने वाले कार्य का स्वरूप | Building construction |

ठेकेदार का नाम एवं पता	कार्य का स्वरूप जिसमें ठेका मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे	ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कामगारों की संख्या	ठेका मजदूरों के नियोजन के सम्बन्ध में अन्य व्यौरा
1	2	3	4
1. अख्तर अंसारी, महाराजगंज, टुण्डी, धनबाद। 2. सज्जाद सलीम, महाराजगंज, टुण्डी, धनबाद। 3. विकाउ राय, धमौन, समस्तीपुर बिहार।	भवन निर्माण	200	

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का
स्वाक्षर दस्तावेज़

